



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1003]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2015/वैशाख 24, 1937

No. 1003]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015 /VAISAKHA 24, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

का.आ. 1281(अ).- संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) की धारा 38क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश के न्यायालय को उस जिले के लिए किराया नियंत्रण अधिकरण के रूप में नामित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्यारह किराया नियंत्रण अधिकरणों का गठन करते हैं, अर्थात्:—

क्रम सं.	जिले का नाम
1.	नई दिल्ली जिला
2.	उत्तर जिला
3.	उत्तर पश्चिम जिला
4.	पश्चिम जिला
5.	दक्षिण पश्चिम जिला
6.	दक्षिण जिला
7.	दक्षिण पूर्वी जिला
8.	केन्द्रीय जिला
9.	उत्तर पूर्व जिला
10.	शाहदरा जिला
11.	पूर्वी जिला

[फा. सं. यू.-11013/01/2013-यू टी एल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2015

S.O.1281(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, and in exercise of the powers conferred under section 38A of the Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958), the President hereby constitutes eleven Rent Control Tribunals within the National Capital Territory of Delhi by designating the Court of District Judge in each of the following districts as the Rent Control Tribunal for that district, namely:-

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of the District</u>
1.	New Delhi District
2.	North District
3.	North West District
4.	West District
5.	South West District
6.	South District
7.	South East District
8.	Central District
9.	North East District
10.	Shahdara District
11.	East District

[F. No. U-11013/01/2013-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.